

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 385 / 2025

GCMS NO- 2025/992

उनवान - हरिराम पुत्र औकार जाति माली निवासी गोठडा तहसील खेतड़ी


बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

आदेश

निर्णय दिनांक 04.11.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भूअ./25/3702 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोठडा पटवार मण्डल गोठडा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 287, 288 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।



| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या  | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------|--|--------------------------------------|--|
| 1.       | गोठडा | खाता संख्या 287 के खसरा नम्बर 205 रकबा 0.18 है.                    | हरनारायण पुत्र औकार                  | हरिराम पुत्र औकार  |
|          |       | खाता संख्या 288 के खसरा नम्बर 184, 208 किता 2 कुल रकबा 0.6350 है., | हरनारायण पुत्र औकारमल                |  |

  
(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं  
दिनांक :- 04.11.2025

क्रमांक :- राजस्व / 2015 / 312

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- हरिराम पुत्र औकार जाति माली निवासी गोठडा तहसील खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

  
  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं